मुस्लिम स्त्रियों का शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन के प्रति दृष्टिकोण : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

बालक राम राजवंशी, शोधार्थी
समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग
हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय
श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखण्ड

परिवर्तनशीलता प्रकृति का एक शाश्वत एवं अटल नियम है। परिवर्तन अवश्यंभावी है। समाज भी प्रकृति से अलग नहीं है। अतः समाज में परिवर्तन होना निश्चित है। मानव समाज भी उसी प्रकृति का अंग होने के कारण परिवर्तनशील है। पांच दशक पूर्व समाज का जो स्वरूप था, वह आज नहीं है और आने वाले पचास वर्षों में भी आज जैसा नहीं रहेगा। लेकिन हमें इस बात पर दृष्टिपात अवश्य करना होगा कि सभी समाजों में परिवर्तनशीलता की गति एक जैसी नहीं होती है। कुछ समाज तीव्रता से बदलते हैं, जबकि कुछ समाज अपनी परम्पराओं और रीति–रिवाजों के साथ चिपके रहने के प्रयास में धीमी गति से परिवर्तित होते है। कभी–कभी यह प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि परिवर्तनशीलता दो–तीन पीढ़ियों के अन्तराल में स्पष्ट होती है, जैसे पश्चिमी देशों के समाजिक मूल्य एवं सामाजिक सम्बन्ध अपेक्षाकृत शीघ्रता से पविर्तित होते हैं, जबकि भारतीय समाज में परिवर्तन धीमी गति से होता है। ग्रामों की अपेक्षा शहरों में परिवर्तन अधिक तेजी से होता है। यह सच है कि किसी समाज में परिवर्तन की गति बहुत मंद होती है, जबकि कुछ समाजों में यह गति बहुत तीव्र होती है। लेकिन विश्वपटल का कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें परिवर्तन न होता रहा हो। अनेक समाजशास्त्रियों के अनुसार समाज में परिवर्तन का तात्पर्य लोगों के सामाजिक सम्बन्धों अर्थात् समाज की इस परिवर्तनशील प्रकृति को स्वीकार करते हुए मैकाइवर ने कहा है कि ''समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है।''

भारत में लगभग 68 वर्षों में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, रजनैतिक तथा शैक्षणिक परिवर्तन हुए हैं। जिसके परिणाम स्वरूप ही अधिक से अधिक संख्या में स्त्रियाँ चाहे वे हिन्दू हों मुस्लिम या क्रिश्चियन हों, अब पर्दे के घूँघट की ओट से छिपी स्त्रियों का संसार घर की चारदीवारी तथा उसमें सिमटे उनके कार्यों के बाहर आ चुका है। आज की स्त्री का व्यक्तित्व कमजोर स्त्रियों का व्यक्तित्व नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से भरे दमकते चेहरे वाली आधुनिक स्त्री का हो गया है। आधुनिक स्त्रियाँ अब घरेलू मात्र न होकर पति के समानान्तर प्रतिनिधि हो गयी हैं तथा उन्होंने स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अपने कदम बढ़ा दिये हैं। शिक्षित विवाहित स्त्रियों को घर एवं बाहर दोनों जगहों पर सामंजस्य करना पड़ता है। विवाहित एवं कार्यशील मुस्लिम स्त्रियों की दोहरी भूमिका होती है। एक साथ वे कर्मचारी एवं ग्रहणी होती हैं। इन दोनों भूमिकाओं के मध्य संघर्ष की भूमिका उत्पन्न होने लगती है। यदि वे घरेलू भूमिका भलीभाँति निर्वाह करती हैं तो वाह्य भूमिका को ठेस पहुँचने लगती हैं। यदि वे वाह्य भूमिका में अत्यधिक रुचि लें तो घरेलू भूमिका धूमिल पड़ने लगेगी। इस प्रकार मुस्लिम स्त्रियों के जीवन में अत्यन्त कोमल संतुलन की समस्या है। यदि परिवार के सदस्य उनकी दोनों भूमिकाओं को समर्थन न दें तो वह परिवार और शिक्षा एवं कार्य में भली भाँति समायोजन नहीं कर सकती हैं।

वर्तमान समय में यद्यपि मुस्लिम स्त्रियाँ शिक्षित होकर रोजगार करने लगी हैं। किन्तु उनकी स्थिति संतोषजनक नहीं है। यही कारण है कि स्त्री रोजगार को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल सकी अतः स्त्री द्वारा सामाजिक सुधार की मांग भी कमजोर है, उसे सम्पूर्ण स्त्री वर्ग का सक्रिय सहयोग प्राप्त नहीं है। आवश्यकता इस बात कि है कि सम्पूर्ण स्त्री वर्ग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सक्रिय हिस्सा बनकर, पुरुष की आर्थिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी में सहयोग द्वारा अपनी क्षमता को स्थापित करे एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करें। जब समाज में वर्गीय समानता स्थापित हो जायेगी, शिक्षा एवं जागरूकता का प्रसार होगा तो निश्चित रूप से शोषण की स्थिति को समाप्त करना सम्भव होगा एवं ऐसी स्थिति में समाजिक सुधार, सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक अवसर तथा गतिशीलता की सम्भावना भी बढ़ जायेगी।

मुस्लिम स्त्रियों में अक्सर रचनात्मक शक्ति और साहस की काफी मात्रा देखने को मिलती है। उनके व्यवहार रहन–सहन के ढंग और उनके विचारों की प्रवृत्ति दिखायी देने लगती है। लेकिन यह स्त्रियाँ जिन मूल्यों और आदर्शों के नीचे दबी होती है, वे सारे सम्पूर्ण समाज में व्याप्त हैं, जिनमें ये रहती हैं। एक अकेली स्त्री भला सम्पूर्ण समाज के विरुद्ध संघर्ष नहीं कर सकती है। किसी एक स्त्री का जीवन उसके परिवार, उसके रिश्तेदारों, उसके पड़ोसियों, समुदायों, समुदाय के अन्य सदस्यों, उसका समाजीकरण, उसके कामकाजी सहयोगियों और मालिकों तथा मित्रों के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। जब कोई स्त्री अपनी जीवन–शैली और अपने मूल्यों को बदल कर अपने अन्दर के तनाव को काबू करने की कोशिश करती है तो इन सम्बन्धों से उसको या तो सहायता मिलती है या फिर कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। वह जो कुछ करने की कोशिश करती है उससे असहमत होने वाले लोग अपने सम्बन्धों का उपयोग उसको ऐसा करने से रोकने के लिए करते हैं।

वैश्वीकरण के परिपेक्ष्य में मुस्लिम स्त्री शिक्षा एंव सामाजिक परिवर्तन पर दृष्टिकोण के अध्ययन से सम्बन्धित शोधार्थी ने निम्न उद्देश्य निर्धारित किये है–

1. मुस्लिम स्त्रियों का वैयक्तिक परिचय प्राप्त करना।
2. मुस्लिम स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति ज्ञात करना।
3. वैश्विक परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति को निर्धारित करने वाले तत्वों को ज्ञात करना।
4. मुस्लिम स्त्रियों की पारिवारिक भूमिका संरचना को ज्ञात करना।
5. मुस्लिम स्त्रियों में सामाजिक तथा व्यावसायिक गतिशीलता को ज्ञात करना।

6. उनमें सामाजिक परिवर्तन के प्रति रूझान को ज्ञात करना।
7. उनमें आधुनिक जीवन शैली के प्रति बढ़ती हुई रूचि का अध्ययन करना।

प्रस्तुत शोध में निम्न उपकल्पनाओं की सत्यता को जांचने का प्रयास किया गया है –

1. मुस्लिम–स्त्रियाँ निम्न सामाजिक आर्थिक दशाओं में अपना जीवन यापन कर रही है।
2. मुस्लिम स्त्रियों में वैश्विक शिक्षा के द्वारा प्रगति व अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है।
3. धार्मिक व सामाजिक दबाव के फलस्वरूप मुस्लिम स्त्रियों में आधुनिक जीवन शैली अपनाने की ओर रूझान बढ़ रहा है।
4. मुस्लिम स्त्रियां अपनी योग्यता बढ़ाने की ओर अग्रसर है।
5. शिक्षा के स्तर में वृद्धि होने से मुस्लिम स्त्रियों में स्वास्थ्य और आर्थिक आत्मनिर्भता के प्रति जागरूकता बढ़ रही है।

अध्ययन के निदर्शन की इकाईयाँ– प्रस्तुत शोधकार्य के अध्ययन क्षेत्र के रूप में उत्तरप्रदेश के जनपद लखनऊ, महानगर को चुना गया है। लखनऊ जनपद उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय क्षेत्र में स्थित है, इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 2544कि0मी0 है। जो 81. 3^{0} पूर्व अक्षांश पर स्थित है, जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ब्रिटिश शासन में यूनाइटेड प्रोविन्स में अवध की राजधानी लखनऊ का ऐतिहासिक महत्व है। जो स्वतंत्रता संग्राम में विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये मुगल शासनकाल से कला और संस्कृति के लिये महत्वपूर्ण विश्वभर में प्रसिद्ध है। इस महानगर के अन्तर्गत 110 वार्ड आते है। अतः अध्ययन हेतु वार्ड वजीरगंज को उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु चयनित किया गया है। जो उद्देश्य निदर्शन के माध्यम से चयनित किया गया है, क्योंकि यह वार्ड मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना सम्भव हो सकता है।

सांख्यिकीय रूप से निदर्शन एक ऐसा प्रयास है जिसके अन्तर्गत हम कुछ स्वीकृत और पूर्व निर्धारित प्रणालियों की सहायता से सम्पूर्ण समग्र में से कुछ प्रतिनिधि इकाईयों को चयन करते है।

प्रस्तुत शोध में निदर्शन के आकार का चयन टारो यामने(1970)[1] के द्वारा दिये गये निम्नलिखित गणितीय सूत्र द्वारा किया गया है–

$$\text{Sample Size}(n) = \frac{n}{1+Ne^2}$$

Where, n= Total Number of Universe
e=error(0.05)

गणितीय सूत्र प्रयोग करने पर

$$\text{Sample Size} = \frac{2890}{1+2890(0.05)^2} = \frac{2890}{9.15} = 315.84$$

अतः निदर्शन का आकार 315.84 के स्थान पर अध्ययन हेतु 300 इकाईयों को चयनित किया गया है। प्रस्तुत शोध में प्राथमिक तथ्यों का संकलन करने के लिये साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्वगामी सर्वेक्षण, अनौपचारिक वार्तालाप तथा मुस्लिम स्त्रियों की शिक्षा, सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि, भूमिका अपेक्षा, तनाव तथा सामंजस्य, सामाजिक परिवर्तन एवं गतिशीलता पर प्रकाश डाला गया है। शोधार्थी नें साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से मुस्लिम स्त्रियों के निवास स्थान एवं कार्यालय जाकर साक्षात्कार किया तथा साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा प्राप्त स्थिति का वर्गीकरण एवं सारणीयन किया। तत्पश्चात् तथ्यों को सारणीयन के पश्चात् उनका विश्लेषण किया गया। जबकि द्वितीयक स्रोत से तथ्य संकलन में विषय से सम्बन्धित प्रकाशित पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएँ, रिपोर्टों पूर्व के अध्ययन प्रकाशित एवं अप्रकाशित, जनगणना, इण्टरनेट आदि का प्रयोग किया है।

जेन्सन (1939:190)[2] नें सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र को कुछ और व्यापक मानते हुए लिखा है कि ''सामाजिक परिवर्तन को लोगों के कार्य करने और विचार करने की पद्धतियों में होने वाला परिवर्तन कहकर परिभाषित किया जा सकता है।''

सामाजिक परिवर्तन के सम्बन्ध में नूर मोहम्मद (2002 : 537)[3] का कहना है कि सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक और निरन्तर होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें समाज द्वारा स्वीकृत सम्बन्धों, प्रक्रियाओं, व्यवहार, प्रतिमानों तथा संस्थाओं में इस प्रकार परिवर्तन उपस्थित होते रहते हैं कि हमारे समक्ष उनसे पुनः अनुकूलन करने की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

यह बात सच है कि परिवर्तन की प्रकृति समान नहीं होती है। कुछ समाजों में परिवर्तन की गति तेज होती है, तो कुछ में मन्द। ऐसी ही स्थिति कुछ भारतीय मुस्लिम समाज में भी देखने को मिलती है।

मुस्लिम समाज में जहाँ पुरुषों की स्थिति में परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, वहीं मुस्लिम स्त्रियाँ भी इससे अछूती नहीं हैं।

प्राचीन काल में मुस्लिम स्त्रियाँ अपनी इच्छानुसार कुछ नहीं कर सकती थीं वे बंद पंछी की भाँति पिंजरे में बंद अपने जीवन को सुखी जीवन समझती थीं। इतना ही नहीं उनके प्रति तिरस्कार, अपमान व घृणा भी विद्यमान थी।

भारत में प्राचीनकाल में स्त्री की स्थिति के विषय में भिन्न–भिन्न विचार पाये गये। वैदिक युग इस आदर्श से युक्त रहा है कि स्त्री–पुरुष की 'प्रकृति' है जिसके बिना इसका अस्तित्व महत्वहीन है। इस काल में स्त्रियाँ कभी पर्दा नहीं करती थीं उन्हें अपने जीवनसाथी के वरण में स्वतन्त्रता प्राप्त थी। वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं तथा विधवाओं को भी पुनर्विवाह की अनुमति थी। यद्यपि विवाह विच्छेद की अनुमति उन्हें प्राप्त नहीं थी। सामाजिक क्षेत्र में स्त्रियों की स्थिति न्याय एवं औचित्य से प्रेरित थी। आर्थिक क्षेत्र में स्त्रियों को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी। घर उत्पादन का केन्द्र था, स्त्रियाँ कृषि कार्यों मे भी अपने पति की सहायता करती थीं।

इस प्रकार स्त्रियों का पिछड़ापन, अशिक्षा एवं आर्थिक स्वावलम्बी होना उनके सामाजिक–आर्थिक विकास मे बाधक रहा। यद्यपि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् समाज में स्त्रियों की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ, किन्तु यह परिवर्तन सुधारवादी नहीं रहा। आज भी मुस्लिम समाज अनेक कुप्रथाओं तथा परम्पराओं से जकड़ा हुआ है। जिन्हें समाप्त किये बिना समानता, स्वतन्त्रता एवं न्याय की स्थापना करना सम्भव नहीं है। मुस्लिम स्त्रियों में बढ़ती हुई शिक्षा एवं गतिशीलता के परिणाम स्वरूप आज मुस्लिम स्त्री आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने लगी है। उसमें सामाजिक चेतना का विकास एवं प्रसार हुआ है और सामाजिक कुप्रथाओं का विरोध होने लगा है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों मे मुस्लिम स्त्रियों की निरक्षरता, अज्ञानता, रूढ़िवादिता एवं दुराग्रही विचारधारा यथावत् विद्यमान है। यही कारण है कि बाल–विवाह, प्रर्दाप्रथा, दहेज प्रथा एवं मानव विरोधी अन्धविश्वासी जैसी परम्पराएँ प्रचलित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की स्थिति में काफी हद तक परिवर्तन देखने को मिल रहा है।

नगरों की स्त्रियों में उच्च शिक्षा प्राप्ति एवं सामाजिक गतिशीलता, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण तथा व्यक्तिवादी भावना के बढ़ते तथा रोजगार में लगे होने के कारण स्वावलम्बी होने और घरेलू मामलों में अन्तः पीढ़ी द्वन्द के कारण लम्बे समय तक और कभी–कभी तो जीवन पर्यन्त रहने अविवाहित की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। सरकारी नौकरियों में हम ऐसी अनेक मुस्लिम स्त्रियों को देख सकते हैं। प्रायः ऐसी स्त्रियों को समाज में संदेहात्मक चरित्र समझा जाता है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन नगरों में इन पर कोई अंगुली नहीं उठाता (नूर मोहम्मद एवं लवानियां : 2003; पृष्ठ : 424)[4]।

कहने का आशय यह है कि इस परिवर्तन के दौर में मुस्लिम स्त्रियाँ भी पुरुषों से कमतर नहीं है। आज स्त्रियों की भी पहुँच पुरुषों की तरह समुद्रतल की गहराई से लेकर आकाश की उँचाई तक है। यदि उनमें आत्मविश्वास एवं दृढ़ संकल्प साथ हो तो भारत की प्रत्येक स्त्री पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चल सकती है। पहले उसका जीवन केवल घर की चारदीवारी के भीतर के कार्यों तक ही सीमित था परन्तु वर्तमान में स्त्रियों को दोहरे–तिहरे दायित्व निभाने पड़ते हैं जो कभी–कभी पुरुषों के ही होते थे।

आधुनिक समाज में मध्यम वर्ग तथा उच्च वर्ग की मुस्लिम स्त्रियाँ शिक्षित होकर, शिक्षा विभाग, पुलिस–प्रशासन, चिकित्सा, रेल परिवहन तथा कंप्यूटर, न्याय विभाग, खेल इत्यादि सम्बन्धी उत्तरदायित्व निर्वाह के साथ सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी कार्यरत होकर अपनी अमूल्य सेवा प्रदान कर रही है। पहली स्त्री न्यायाधीश बी0बी0 फात्मा, राजनेत्री मोहिसिना किदवई, डॉ0 नजमा हेपतुल्ला, अभिनेत्री वहीदा रहमान, शबाना आजमी, सौन्दर्य विशेषज्ञा शहनाज हुसैन, नृत्य गुरु–फरहा खान, नाट्य कर्मी नादिरा बब्बर, पूर्व हाकी कप्तान रज़िया जैदी, सानिया मिर्जा, सादिया देहलवी, उपन्यासकार इस्मत चुगतई और कुरतुलएन हैदर जैसे कुछ नाम लिए जा सकते हैं जो आधुनिक स्त्री में आई अभूतपूर्व सामाजिक गतिशीलता को डंके की चोट पर बता रही हैं।

मुस्लिम समाज में इस सामाजिक परिवर्तन से आयी गतिशीलता का प्रभाव शहरी शिक्षित मुस्लिम स्त्रियों और उसमें भी विशेष रूप से मध्यवर्गीय स्त्रियों पर पड़ा है। नगरीकरण, अधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, शिक्षा और रोजगार जो कि वस्तुतः इस सामाजिक गतिशीलता की देन है, ने उन्हें अपने व्यक्तित्व को निश्चित दिशा देने तथा स्त्री अधिकारों के क्षेत्र में नये आयाम दिखाए हैं। समाजिक परिवर्तन के साथ आधुनिकता के दौर में स्त्रियों की भूमिका तथा उनके समबन्धों को काफी हद तक प्रभावित किया है। यहां पर यह कहना अति प्रासंगिक होगा कि ग्रामीण क्षेत्र की स्त्रियाँ जो केवल घरेलू उत्तरदायित्वों का ही निर्वाह नहीं करती हैं, बल्कि वे पुरुषों के साथ खेतों में भी हाथ बटाती हैं, अब वे भी शहरी स्त्रियों की तरह घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर आर्थिक रूपसे स्वावलम्बी होने लगी हैं। इससे उनकी व्यक्तिगत आकांक्षाओं की भी पूर्ति होती है। साथ ही उनके व्यक्तित्व के विकास की सम्भावनाएँ भी प्रबल होती हैं।

आज शिक्षा एवं रोजगार प्राप्त करने के लिये अधिकतर मुस्लिम स्त्रियों ने घर से बाहर निकल कर इस धार्मिक रूढ़िवादी मिथ्या को तोड़ा है कि शिक्षा एवं नौकरी प्राप्त करना स्त्रियों की गरिमा के अनुकूल नहीं होता। साथ ही ऐसा कदम सिर्फ घोर आर्थिक विपन्नता की परिस्थिति में ही उठाया जाता है। ऐसे में आज स्त्री पुरुष की मात्र धर्मपत्नी या अर्धांगनी ही न रहकर परिवार के रखरखाव व उसके अस्तित्व को बनाये रखने में एक महत्वपूर्ण आर्थिक धुरी के रूप में उभर कर सामने प्रस्तुत हुई है। जिससे मुस्लिम समाज में परिवर्तन की गति तेज होती नजर आ रही है। इतना ही नहीं मुस्लिम स्त्रियों में शिक्षा की जागरूकता बढ़ने के साथ–साथ वे अपने समस्त अधिकारों के प्रति सचेत हो गयी है। जिनकी छाया अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर नजर आ रही है।

सारणी संख्या 1 : उत्तरदाताओं की शैक्षिक योग्यता की स्थिति का वर्गीकरण

शिक्षा का स्तर	**संख्या**	**प्रतिशत**
अशिक्षित	30	10
हाईस्कूल	54	18
इण्टरमीडिएट	72	24
स्नातक	84	28
स्नातकोत्तर	36	12
अन्य शिक्षा	24	08
कुल योग	**300**	**100**

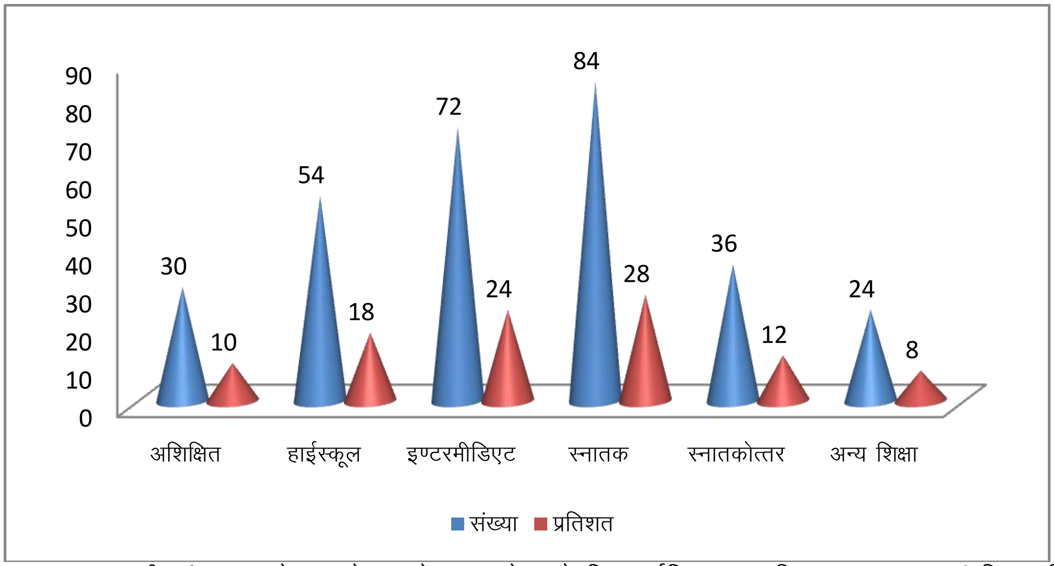

सारणी संख्या 1 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 28 प्रतिशत उत्तरदाता (मुस्लिम स्त्रियाँ) स्नातक स्तर की शिक्षा, 12 प्रतिशत स्नातकोत्तर है, 24 प्रतिशत इण्टरमीडिएट, 18 प्रतिशत हाईस्कूल तथा 8 प्रतिशत अनय जैसे पी0एच0डी0, एम0एड0, बी0एड0, बी0टी0सी0 और नर्सिंग की शिक्षा से परिपूर्ण पायी गयी। सर्वेक्षण के समय 10 प्रतिशत उत्तरदाता अशिक्षित पायी गयीं जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पायी हैं। अतः उपरोक्त विवरण से ज्ञात होता है कि मुस्लिम स्त्रियों का रुझान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा एवं सामाजिक गतिशीलता की ओर बढ़ रहा है। आधुनिक जटिल समाज में अधिकतर मुस्लिम स्त्रियाँ सामाजिक–आर्थिक व धार्मिक कठिनाइयों में फँस जाती है जिसके कारण वे शैक्षिक योग्यता को बढ़ाने में असमर्थ रहती है। परन्तु वर्तमान में मुस्लिम स्त्रियों में शैक्षिक योग्यता एवं व्यवसायिक उद्यमिता पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

2 शिक्षा की आवश्यकता

वर्तमान में मुस्लिम समाज में बहुत तेजी से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार प्राचीन काल में धार्मिक शिक्षा को महत्व दिया जाता था अब उसमें अभाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। इसी अभाव की स्थिति को ज्ञात करने के लिये शिक्षा की आवश्यकता की प्राथमिकता को निम्न सारणी में प्रस्तुत किया गया है –

सारणी संख्या 2 : शिक्षा की आवश्यकता का वर्गीकरण

शिक्षा की आवश्यकता का स्वरूप	**संख्या**	**प्रतिशत**
आवश्यक है।	294	98
आवश्यक नहीं है।	06	02
कुल योग	300	100

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि शतप्रतिशत मुस्लिम स्त्रियाँ शिक्षा की आवश्यकता के पक्ष में हैं। शिक्षा से जुड़ी प्राथमिकता के सम्बन्ध में नकारात्मक विचार (आवश्यक नहीं) 02 प्रतिशत पाये गये।

3. वैवाहिक स्थिति

वैवाहिक प्रस्थिति व्यक्ति के कार्य को प्रभावित करती हैं विवाह व्यक्ति को अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों में वृद्धि करता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति शीघ्र ही कोई न कोई व्यवसाय अथवा नौकरी पाने का प्रयत्न करता है ताकि वह अपने ऊपर आश्रित परिजनों का भरण–पोषण कर सके तथा समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन भी कर सके।

प्रमिला कपूर (1970)[5] के अध्ययन का निष्कर्ष है कि पत्नी का कामगार होना उनके वैवाहिक जीवन का अपना एक समन्वय है। स्त्री के कामगार होने से उनके वैवाहिक जीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, अपितु यह तो एक वैज्ञानिक जीवन समन्वय है जो कि रोजगार पूर्व एक प्रतिकूल वातावरण बनाता है।

सारणी संख्या 3 : वैवाहिक स्थिति का वर्गीकरण

विवाह का स्वरूप	**संख्या**	**प्रतिशत**
अविवाहित	66	22
विवाहित	123	41
विधवा	51	17
पुनर्विवाहित	36	12
तलाकशुदा	24	08
कुल योग	**300**	**100**

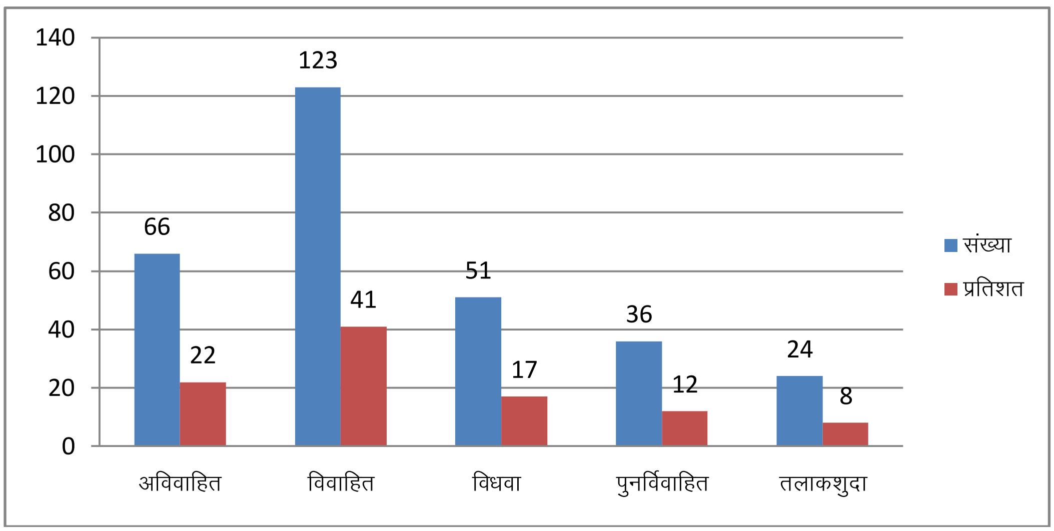

उपरोक्त सारणी संख्या 3 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 41 प्रतिशत विवाहित, 22 प्रतिशत अविवाहित, 17 प्रतिशत विधवा, 12 प्रतिशत पुनर्विवाहित तथा 8 प्रतिशत तलाकशुदा मुस्लिम स्त्रियाँ विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवायें प्रदान कर रहीं हैं।

शोध के तथ्यों से ज्ञात होता है कि वैवाहिक स्थिति भी स्त्रियों को शिक्षित एंव कार्य करने को प्रभावित करती है, क्योंकि विवाह परिवार के प्रति कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों में वृद्धि करता है। जो स्त्रियाँ अविवाहित थीं उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिये विवाह नहीं किया और वे अपनी शिक्षा के साथ साथ परिवारजनों के कार्यों में हाथ बटा रहीं है। तथा वे समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर रही हैं। विधवा तथा तलाकशुदा स्त्रियों से यह पूंछे जाने पर कि उन्हें शिक्षा प्राप्त कर रोजगार एवं आत्मनिर्भर होना कैसा लगता है, तो अधिकतर उत्तरदाताओं का मत था कि इस वैश्विक समय में एक स्त्री का शिक्षित एवं आत्मनिर्भर होना अत्यन्त आवश्यक है।

4. धार्मिक एवं आधुनिक शिक्षा –

भारतीय समाज परम्परागत रूप से धर्मपरायण समाज है। अपनी इसी विशेषता के कारण विश्व में इसका आदर है। मुस्लिम समाज में धर्म को उपासना पद्धति के रूप में ही स्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि धर्म के तत्वों को जीवन में उतारनें का पूर्ण प्रयास किया जाता है। इस्लाम धर्म में जहाँ स्त्रियों को अनेक अधिकार दिये गये हैं। वही शिक्षा ग्रहण करने की पूर्ण स्वतन्त्रता इस्लाम धर्म में स्त्री को दी गयी है।

उपरोक्त विवरण के अनुसार इस्लाम धर्म में स्त्री को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। साथ ही शिक्षा ग्रहण करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है। आधुनिक समय में मुस्लिम समाज में बहुत तेजी से परिवर्तन देखने को मिल रहा है जिस प्रकार प्राचीन काल में धार्मक शिक्षा को महत्व दिया जाता था अब उसमें अभाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। इसी अभाव की स्थिति को ज्ञात करने के लिये शोधार्थी ने आधुनिक शिक्षा की तुलना में धार्मिक शिक्षा से जुड़ी प्राथमिकता को निम्न सारणी में प्रस्तुत किया है।

सारणी संख्या 4: धार्मिक शिक्षा से जुड़ी प्राथमिकता

धार्मिक शिक्षा से जुड़ी प्राथमिकता का स्तर	संख्या	प्रतिशत
आवश्यक है	270	90
आवश्यक नहीं है	30	10
कुल योग	300	100

उपरोक्त सारणी संख्या 4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 90 प्रतिशत मुस्लिम स्त्री उत्तरदाता धार्मिक शिक्षा के पक्ष में है। धार्मिक शिक्षा से जुड़ी प्राथमिकता के सम्बन्ध में 10प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आवश्यक नहीं माना है।

अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जहाँ मुस्लिम स्त्रियों में अपने संतति को औपचारिक शिक्षा देने की आकांक्षा है, उसी अनुपात में धार्मिक शिक्षा को भी आवश्यक मानती है।

5. आधुनिक वेश–भूषा :–

आज सम्पूर्ण विश्व के समाजों में तेजी से परिवर्तन की लहर दौड़ रही है। समाज अपने पुराने स्वरूप को छोड़ चुका है। प्राचीन काल के स्वरूप को मुस्लिम स्त्रियाँ भी बहुत पीछे छोड़ चुकी हैं। वर्तमान में परदे में छिपी स्त्रियों का संसार घर की चारदीवारी तथा उसमें सिमटे उनके कार्यों से बाहर आ चुका है। वे अब पुरुषों के समानान्तर आकर खड़ी हो गयी हैं। जिस कारण बाहरी उपोक्तावादी संस्कृति से प्रभावित हुए बिना वे नहीं रह सकती हैं। यह संस्कृति मुस्लिम स्त्रियों के जीवन में वेश–भूषा व साज–सज्जा में भी परिवर्तन ला रही है। इससे सम्बन्धित तथ्यों को निम्न सारणी में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी संख्या 5 : उत्तरदाताओं की वेश–भूषा व साज–सज्जा पर प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया	संख्या	प्रतिशत
परिवेशानुकूल	60	20
समयानुकूल	90	30
धर्म के दायरे में	120	40
उदासीन	30	10
कुल योग	300	100

उपरोक्त सारणी का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि 40 प्रतिशत उदारता अपनी वेश–भूषा व साज–सज्जा को धर्म के दायरे में उचित मानती हैं। 30 प्रतिशत नें अपने वेश–भूषा को समयानुकूल माना है। 20 प्रतिशत मुस्लिम स्त्रियों (उत्तरदाता) नें अपनी वेश–भूषा को परिवेशानुकूल उचित मानती हैं। मात्र 10 प्रतिशत उत्तरदाताओ नें इस सम्बन्ध में अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की अर्थात् वे उदासीन रहीं।

इससे यह निष्कर्ष सामने आता है कि मुस्लिम स्त्रियाँ धर्म के दायरे में अपनी वेश–भूषा को कायम रखना चाहती हैं। लेकिन जहाँ इनका प्रतिशत 40 रहा है। वहीं दूसरी ओर 30 प्रतिशत मुस्लिम स्त्रियों ने साज–सज्जा की स्थिति समयानुकूल बताई। वास्तव में यह स्थिति मुस्लिम स्त्रियों में गतिशीलता की स्थिति को दर्शाती है। इन मुस्लिम स्त्रियों का कहना है कि व्यक्ति को समय के साथ चलना चाहिए। समय के अनुकूल ही साज–सज्जा का प्रयोग करना समय के साथ समायोजन करना है।

6. विवाह के निर्णय में अधिकार :–

विवाह समाज की अनिवार्यता है, समस्या नहीं किन्तु वर्तमान समय की विषम परिस्थितियों नें इस अनिवार्यता को भी समस्या का रूप दे दिया है। विवाह पर आधारित स्त्री–पुरुष के सम्बन्ध में व्यक्तियों का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है। क्योंकि व्यक्ति ही व्यक्ति के समायोजन की प्रक्रिया का निर्माणकर्ता एवं विनाशकर्ता है। इसके लिये जीवन साथी के चुनाव के लिये पूर्ण स्वतन्त्रता की आवश्यकता है।

मुस्लिम स्त्रियों को विवाह के निर्णय में पूर्ण स्वतन्त्रता दी गयी है। कुरआन के अनुसार अपनी संतति का विवाह करने से पूर्व एक बार उनकी राय जान लेनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो जहाँ तुम उनका विवाह करना चाहते हो वे उसके खिलाफ हों। इस सम्बन्ध में प्राप्त तथ्यों को निम्न सारणी में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी संख्या 6 : विवाह के निर्णय का अधिकार

प्रतिक्रिया	संख्या	प्रतिशत
माता पिता द्वारा निर्णित	144	48
स्वतः चुनाव	111	37
विज्ञापन द्वारा	30	10
मित्रों द्वारा	15	5
कुल योग	300	100

उपरोक्त सारणी संख्या 6 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विवाह के निर्णय में सर्वाधिक उत्तरदाताओं नें अर्थात् 48 प्रतिशत मुस्लिम स्त्रियों नें माता–पिता द्वारा निर्णित विवाह हो प्राथमिकता दी है। उनका कहना है कि जीवन साथी के चुनाव में माता पिता अनेक बातों को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि वे इसे परिवार का विषय समझते हैं। वे जिन बातों पर बल देते हैं उनमें परिवार की प्रतिष्ठा, प्रत्याशित साथी के साथ परिवार की नैतिकता, परिवार की सम्पत्ति, लड़के और लड़की की शारीरिक उपयुक्तता तथा लड़के की आय व नौकरी की प्रकृति इत्यादि प्रमुख है।

दूसरी ओर स्वतः चुनाव के विषय में भी मुस्लिम स्त्रियों का निर्णय अधिक बढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है, इस सम्बन्ध में 37 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपनी सहमति व्यक्त की है। उनका कहना है कि यह तथ्य सत्य है कि विवाह के निर्णय का श्रेय माता–पिता पर जाता है, लेकिन इससे समाज में दहेज–प्रथा, जातिवाद व आत्महत्या जैसी समस्याओं को बढ़ावा मिलता है। उनका मानना है कि स्वतः चुनाव से लड़का हो या लड़की, दहेज या जाति की परवाह नहीं करता है। इस कारण वह विवाह के निर्णय में स्वतः चुनाव की अधिक प्राथमिकता देती है। इसलिये वह स्वतः चुनाव के निर्णय में अपनी सहमति प्रदान करती है। 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं के विज्ञापन द्वारा तथा मात्र 05 प्रतिशत उत्तरदाताओं नें मित्रों द्वारा विवाह के निर्णय में प्राथमिकता प्रदान की है।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मुस्लिम धर्म में विवाह के चुनाव की पूर्ण स्वतन्त्रता होने के पश्चात भी अधिक संख्या में स्त्रियाँ विवाह के निर्णय में माता–पिता को प्राथमिकता देती हैं। लेकिन शिक्षा के माध्यम से यह परम्परा टूटती नजर आ रही है।

7. प्रेम विवाह पर दृष्टिकोण :

विवाह एक प्राचीन समाज की परम्परा है। मुस्लिम विवाह एक धर्म–प्रधान संस्था है जिस पर कुरआन का स्पष्ट प्रभाव दिखलायी पड़ता है। कुरआन मुस्लिम जीवन पद्धति को व्यक्त करता है। परिवार के संगठन, सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्ध एवं उत्तरदायित्व और उत्तराधिकार सम्बन्धी नियमों पर प्रकाश डालता है। मुस्लिम विवाह मूल रूपसे प्राचीन अरब समाज में प्रचलित विवाह थे। आज कहा जा सकता है कि मुस्लिम समाज में विवाह का आदर्श व आधार वे नहीं हैं जो कि हिन्दू विवाह में पाये जाते हैं। विवाह की सफलता दोनों के साथियों के समायोजन पर आधारित होती है। आज समाज में परिवर्तन होने के साथ मुस्लिम समाज में भी सामान्य रूप से परिवर्तन हुआ है। अब माता पिता भी संतान की आज्ञा के बिना उसका वर नहीं चुनते।

प्रमिला कपूर (1974)[6] ने अपने अध्ययन में बताया है कि विवाह समाज का इतना गैर जरूरी तत्व नहीं है कि उसके निर्धारण में वर वधु की इच्छा एवं प्रवृत्ति का ध्यान नहीं रखा जाए।

सारणी संख्या 7 : मुस्लिम स्त्रियों की प्रेम–विवाह पर प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया	संख्या	प्रतिशत
अच्छा	165	55
सबसे अच्छा	45	15
बुरा	15	05
उदासीन	75	25
कुल योग	300	100

उपरोक्त सारणी संख्या 7 से स्पष्ट है कि मुस्लिम स्त्रियों से यह प्रश्न पूंछने पर कि वे प्रेम–विवाह को कैसा मानती हैं; तो 55 प्रतिशत अर्थात् सर्वाधिक स्त्रियों ने उसे अच्छा माना है। 25 प्रतिशत उत्तरदाताओं नें इस प्रश्न पर अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। अर्थात् वे उदासीन रहीं। सर्वेक्षण के समय 15 प्रतिशत मुस्लिम स्त्रियों नें प्रेम विवाह को जहां सबसे अच्छा माना है। वहीं 05 प्रतिशत उत्तरदाताओ ने इसे गलत दृष्टिकोण से देखती हैं। उनका कहना है कि आधुनिक उपभोक्तावादी समय में प्रेम की भावना केवल दिखावा है। यह प्रेम नहीं है; बल्कि हवस है जिससे दोनों को हानि पहुँच सकती है।

इससे निष्कर्ष निकलता है कि सर्वाधिक मुस्लिम स्त्रियाँ प्रेम विवाह को अच्छा मानती हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, परन्तु यहां पर स्पष्ट दृष्टिकोण से देखने का मुख्य कारण समाज से दहेज प्रथा, जातिवाद तथा आत्महत्या जैसी समस्याओं से मुक्ति पाना है।

8 तलाक में परिवर्तन की दिशा–

मुस्लिम विवाह एक समाजिक समझौते के रूप में है अर्थात इस्लाम में विवाह को अटूट बन्धन स्वीकार नहीं किया गया है। यदि पति और पत्नी समझौते के अन्तर्गत जीवन यापन नहीं कर सकते, तो वैवाहिक सम्बन्ध तोड़ने अथवा तलाक देने की व्यवस्था है। परन्तु मोहम्मद साहब ने तलाक लेने और तलाक देने को अच्छा नहीं बताया है (एम.ए.सिद्दीकी; 1982:76)[7]।

इस्लाम धर्म में इस विषय पर सर्वाधिक बल दिया गया है कि स्त्री तथा पुरुष के लिये पारस्परिक प्रेम और सौहार्द की भावना आवश्यक है। ईश्वर नें स्त्री–पुरुष का जोड़ा इसलिये बनाया है ताकि आपस में दोनों आराम व चैन से पा सकें।

लेकिन इस आधुनिक दौर में आज की पीढ़ी चाहे वह किसी भी धर्म से सम्बन्धित हो, तलाक (विवाह–विच्छेद) को एक नया रूप दे रही है। इस भागती जिन्दगी में स्त्री–पुरुष में छोटी–छोटी बातों पर तलाक की नौबत आ जाती है। यह समस्या स्त्रियों के लिये एक भयानक रूप धारण करती जा रही है।

इस शोध में शोधार्थी नें तलाक (विवाह–विच्छेद) से जुड़े प्रश्नों से सम्बन्धित संकलि किये गये तथ्यों को निम्न सारणी में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी संख्या 8 : विवाह–विच्छेद से जुड़े विचार एवं परिवर्तन की दिशा

विवाह विच्छेद से जुड़े विचार	संख्या	प्रतिशत
असामान्य परिस्थितियों में आवश्यक	120	40
आवश्यक नहीं	96	32
उदासीन	84	28
कुल योग	300	100

उपरोक्त सारणी संख्या 8 के आधार पर स्पष्ट है कि सबसे अधिक 40 प्रतिशत मुस्लिम स्त्रियाँ असामान्य परिस्थितियों में तलाक लेने के पक्ष में पायी गयीं। 32 प्रतिशत मुस्लिम स्त्रियों ने तलाक से घृणा की प्रतिक्रिया व्यक्त की तथा 28 प्रतिशत नें इस प्रश्न का उत्तर देने में उदासीन रहीं है। उन्होंने अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चाहे मुस्लिम धर्म हो या हिन्दू धर्म दोनों ही तलाक के विरोधी रहे हैं। हालांकि दोनों ही धर्मों में तलाक से अलगाव करने की बात कही गयी हैं परन्तु पूरी कवायद के पश्चात् ही तलाक को अन्तिम उपाय बताया गया है। बड़ी संख्या में मुस्लिम–स्त्रियाँ तलाक शब्द से नफरत करती हैं। लेकिन समाज में परिवर्तन के साथ–साथ मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति में भी परिवर्तन देखने को मिला है। उनका कहना है कि वे ऐसे पुरुष के साथ रहना पसंद नहीं करती हैं जिनके साथ उनका सामंजस्य न हो सके। वो ऐसी स्थिति में तलाक को एक महत्वपूर्ण उपाय मानती हैं।

9. पुरुष की तुलना में स्त्री शिक्षा पर प्रतिक्रिया :–

इस्लाम धर्म नें शिक्षा के द्वार पुरुष व स्त्री दोनों के लिये खुले रखे हैं। इस मार्ग के प्रतिबन्ध समाप्त करके प्रत्येक तरह की आसानी प्रस्तुत की है। इसमें मुख्यतः लड़कियों की शिक्षा की ओर महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है।

इस्लाम धर्म नें स्त्री को धार्मिक व समाजी शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतन्त्रता दी है। बल्कि उनकी शिक्षा व गतिशीलता को महत्वपूर्ण व आवश्यक बताया हैं। शिक्षा जिस प्रकार से पुरुषों के लिये आवश्यक है उसी तरह स्त्री को भी बराबरी का स्थान प्रदान किया है। मुस्लिम धर्म के अनुसार स्त्री की अच्छी शिक्षा व उसकी अच्छी परवरिश वह है जो उसको एक अच्छी पत्नी, अच्छी माँ तथा अच्छी पुत्री बनाये।

प्रस्तुत शोध में पुरुष की तुलना में स्त्री–शिक्षा के दृष्टिकोण को शोधार्थी नें निम्न सारणी में प्रस्तुत किया है।

सारणी संख्या 9 : पुरुष की तुलना में स्त्री–शिक्षा पर प्रतिक्रिया

प्रातिक्रिया	संख्या	प्रतिशत
सहमत	300	100
असहमत	–	–
उदासीन	–	–
कुल योग	300	100

उपरोक्त सारणी संख्या 9 से स्पष्ट है कि मुस्लिम–स्त्रियाँ पुरुष की तुलना में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने पर शत–प्रतिशत सन्तुष्ट पायी गयीं। कोई भी उत्तरदाता इससे असंतुष्ट व उदासीन नहीं पाया गया।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मुस्लिम स्त्रियाँ, स्त्रियों की शिक्षा प्रदान करने पर पूर्ण सहमति रखती हैं। उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिये अपनी ग्रहस्थी को भली भाँति समझने तथा सम्मान जनक भरण पोषण करने के लिये शिक्षा प्राप्त करने को आवश्यक माना है।

10. घर से बाहर जाने की स्वतन्त्रता पर विचार : –

इस्लाम धर्म में व्यस्क स्त्री को अपने प्रत्येक काम में पूरी–पूरी स्वतन्त्रता दी गयी है लेकिन स्त्री को इतनी भी स्वतन्त्रता नहीं दी गयी है जितनी एक व्यस्क पुरुष को दी गयी है। उदाहरणानुसार पुरुष स्वतन्त्रतापूर्वक कहीं पर भी जा सकता है। लेकिन स्त्री विवाहित हो अथवा अविवाहित या विधवा हर हाल में आवश्यक है कि जब वह घर से बाहर या सफर में जाये तो उसके साथ एक सम्बन्धी जिससे निकाह जायज नहीं है, का होना आवश्यक है। इस्लाम में जिसके साथ स्त्री को

विवाह करना सख्ती के साथ मना किया गया है उनमें से पिता, भाई, मामा, चाचा, पुत्र, भतीजा, भांजा यह सम्बन्धी (मेहरम) के अन्तर्गत आते हैं।

इस्लाम धर्म में इतना कठोर प्रतिबन्ध होने के पश्चात् मुस्लिम स्त्रियों में परिवर्तन अनुभव किय गये हैं। उन्हीं परिवर्तनों को सन्दर्भ मानते हुए शोधार्थी नें यह ज्ञात करने का प्रयास किया है कि क्या मुस्लिम स्त्रियों को घर से बाहर जाने की स्वतन्त्रता है या नहीं ? प्राप्त तथ्यों को निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या 10 : घर से बाहर जाने की स्वतन्त्रता का स्तर

स्वतन्त्रता का स्तर	संख्या	प्रतिशत
किसी को साथ ले कर जाती हैं	21	07
अकेले जाती हैं	90	30
सदैव किसी समबन्धी के साथ	150	50
कभी किसी के साथ कभी अकेले	39	13
कुल योग	300	100

उपरोक्त सारणी संख्या 10 का अवलोकन से स्पष्ट हे कि सर्वाधिक 50 प्रतिशत मुस्लिम स्त्रियाँ घर से बाहर जाते समय किसी न किसी सम्बन्धी (मेहरम) को साथ लेकर चलती हैं। दूसरी ओर 30 प्रतिशत मुस्लिम स्त्रियाँ बाहर जाते समय स्वयं अकेली जाती है, बल्कि वह किसी को अपने साथ नहीं लेकर चलती हैं। 13 प्रशित कभी–किसी के साथ तो कभी अकेली जाती हैं। जबकि मात्र 07 प्रतिशत मुस्लिम स्त्रियाँ किसी भी व्यक्ति को साथ लेकर जाती हैं।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मुस्लिम धर्म में स्त्रियों को जो स्वतन्त्रता मिली है वह उसी दायरे तक ही सीमित रूप में स्वतन्त्र है।

11. परिवार नियोजन :–

परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि समाज के वास्तविक स्वरूप का उद्भव और विकास परिवार में ही विकसित हुआ है। आज चारो ओर समाज में बहुत गिरावट आती जा रही है। भारतीय समाज चारो ओर से समस्याओं से जूझ रहा है। एक ओर जनसंख्या वृद्धि नें भी भारतीय समाज को झकझोर कर रख दिया है। जनसंख्या वृद्धि नें परिवार तथा समाज के सम्मुख अनेकों समस्याओं का अम्बार लगा दिया है। जहाँ समाज में बेरोजगारी, निर्धनता, अशिक्षा, अपराध, आवास, इत्यादि की बढ़ती हुई समस्या को जन्म दिया है, वहीं परिवार भी इससे अछूता नहीं है। आज बढ़ती हुई जनसंख्या ने परिवारों को विघटन की ओर आकर्षित कर दिया है। रोजगार की कमी, एक–दूसरे में अविश्वास, पति–पत्नी के सम्बन्धो में कटुता तथा संयुक्त परिवारों का विघटन और उनके स्थान पर केन्द्रक परिवारों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी है। इस कारण हम कह सकते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि नें वैयक्तिक, पारिवारिक–सामुदायिक तथा सामाजिक जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न करके एक विघटनकारी दशा को प्रोत्साहन दिया है। इन सब समस्याओं पर अंकुश लगाने के लिये आवश्यक है बढ़ती हुई जनसंख्या की रोकथाम। इन समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए शोधार्थी नें मुस्लिम स्त्रियों से प्रश्न पूंछा कि क्या परिवार और राष्ट्र की समृद्धि में बच्चों का सीमित जन्म आवश्यक है? इस सम्बन्ध में एकत्रित तथ्यों को निम्न सारणी में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी संख्या 11 : उत्तरदाताओं की बच्चों के सीमित जन्म पर प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया	संख्या	प्रतिशत
पूर्ण सहमत	195	65
आंशिक सहमत	48	16
उदासीन	33	11
आंशिक असहमत	18	06
पूर्ण असहमत	06	02
कुल योग	300	100

उपरोक्त सारणी संख्या 11 से स्पष्ट है कि 65 प्रतिशत उत्तरदाता राष्ट्र व परिवार की समृद्धि के लिये बच्चों का सीमित जन्म पर अपनी प्राथमिकता पूर्ण सहमत की व्यक्त की है। 16 प्रतिशत स्त्री उदारता ऐसी पायी गयी जो इस प्रश्न से आंशिक सहमत है। 11 प्रतिशत उत्तरदाता इस सम्बन्ध में उदासीन पायी गयी । उन्होंने इस प्रश्न पर अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। 06 प्रतिशत उत्तरदाता आंशिक सहमत पायी गयीं। सर्वेक्षण दौरान परिवार नियोजन के सम्बन्ध में पूर्ण असहमत की दशा में उत्तरदाताओं का प्रतिशत 02 रहा।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मुस्लिम स्त्रियाँ परिवार एवं राष्ट्र की समृद्धि में बच्चों के सीमित जन्म को उचित मानती हैं। उनका मानना है कि एक अच्छे व खुशहाल जीवन के लिये परिवार का सीमित होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि छोटे परिवार में बच्चों की देखभाल सही प्रकार व परिवार का संचालन सही ढंग से चलता है।

सर्वेक्षण के दौरान एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आया है कि जिन उत्तरदाताओं नें बच्चों के सीमित जन्म पर आंशिक सहमति प्रदान की है, उनमें सर्वाधिक ग्रामीण परिवेश से आने वाली कम पढ़ी–लिखी स्त्रियाँ है। इस तथ्य से यह सिद्ध होता है कि ग्रामीण परिवेश से आने वाली स्त्रियों में परिवार नियोजन सम्बन्धी जानकारी का अभाव है इसलिये वे उत्तरदाता आंशिक सहमत पायी गईं।

अतः उपरोक्त विवरण से ज्ञात होता है कि मुस्लिम स्त्रियों का रुझान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा एवं सामाजिक गतिशीलता की ओर बढ़ रहा है। आधुनिक जटिल समाज में अधिकतर मुस्लिम स्त्रियाँ सामाजिक–आर्थिक व धार्मिक कठिनाइयों में फँस जाती है जिसके कारण वे शैक्षिक योग्यता को बढ़ाने में असमर्थ रहती है। परन्तु वर्तमान में मुस्लिम स्त्रियों में शैक्षिक योग्यता एवं व्यवसायिक उद्यमिता पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। जहाँ मुस्लिम स्त्रियों में अपने संतति को औपचारिक शिक्षा देने की आकांक्षा है, उसी अनुपात में धार्मिक शिक्षा को भी आवश्यक मानती है। मुस्लिम स्त्रियाँ धर्म के दायरे में अपनी वेश–भूषा को कायम रखना चाहती हैं। लेकिन इस आधुनिक दौर में आज की पीढ़ी चाहे वह किसी भी धर्म से सम्बन्धित हो, तलाक (विवाह–विच्छेद) को एक नया रूप दे रही है। इस भागती जिन्दगी में स्त्री–पुरुष में छोटी–छोटी बातों पर तलाक की नौबत आ जाती है। यह समस्या स्त्रियों के लिये एक भयानक रूप धारण करती जा रही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. Taro, Yamne, 1970 . *Statistitics Introductory Analysis, Newyork* : Haper and Row
2. Jenson, 1939 : *Introduction to Sociology and Social Problems*, U.S.A : C.V. Mosby Company
3. मो0, नूर एवं लवानिया 2002. *सामान्य समाजशास्त्र,* जयपुर : कालेज बुक डिपो, पृष्ठः 537।
4. मो0, नूर एवं लवानिया 2003. *भारतीय समाज विस्तृत अध्ययन,* जयपुर : कालेज बुक डिपो, पृष्ठः 424।
5. Kapoor, Pramila, 1970. *Marriage and Working Women in India* - New Delhi : Vikas Publication.
6. Kapoor, Pramila, 1974. Love *Marriage and Sex,* New Delhi : Vikas Publication.
7. Siddiqui, M. A., 1982. Women in Islam, New Delhi : Adam Publication. Page 76